FORM NO. III

फर्द अहकाम

[illegible] फौजदार, चौकिदा[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स [illegible]

[illegible]

9/9/19

[illegible]

पत्रावली पेश हुई। [illegible]
अपराधी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible]
[illegible] प्रार्थी की जाति [illegible]
हुई है सो [illegible]
प्रमाण पत्र पेश किया [illegible] प्रमाण पत्र [illegible]
2000 को जारी किया हुआ है जो [illegible]
कोई प्रमाण पत्र नहीं [illegible] प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र खारिज करने [illegible]
निर्णय [illegible]
शामिल किया [illegible]
होकर दफ्तर दाखिल हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसिया

पीठासीन अधिकारी - रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 288 2019

प्रार्थी :-

जगदीश पुत्र श्री भैराराम जाति मेगवाल रावल निवासी ग्राम बालरवा तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिवरी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-

प्रार्थीगण की ओर से :- अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थी :- सरकारी पैराकार उपस्थित

-::निर्णय ::-

दिनांक - 9/9/19

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा सख्या 25 रकबा 12 बीघा 02 बिश्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आई हुई है जिसकी जमाबन्दी की प्रति पेश की उक्त खसरा की भूमि में पूर्व में खातेदार प्रार्थी व प्रार्थी के भाई श्यामलाल के पिता श्री भैराराम के खातेदारी की भूमि जिनका देहान्त होने पर नामान्तरकरण सख्या 377 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया। प्रार्थीगण की उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम का अंकन सही है लेकिन प्रार्थी की जाति भाट लिखी हुई है जो मेधवाल जाति की उपजाति है लेकिन प्रार्थी की जाति भाट के [illegible] होकर रावल है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र के उक्त पद में वर्णित खसरान की भूमि में जाति भाट के

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:29 IST
Reason: SelfAttested

स्थान पर रावल दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के जाति सम्बधी अन्य परिचय पत्र व राशन कार्ड व जाति प्रमाण पत्र आदि में रावल अंकित है जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त उपरोक्तानुसार भाट दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी की वास्तविक जाति रावल है रावल व भाट एक ही मेघवाल जाति की उपजाति है। राशन कार्ड परिचय पत्र व आधार कार्ड की प्रति पेश की अन्त में ईस्तदुआ चाही कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम श्री चैनसिह नगर बालरवा के खसरा सख्या 2/5 रकबा 12 बीघा 02 बिश्वा भूमि में प्रार्थी की जाति भाट के स्थान पर रावल दर्ज किये जाने का सादिर आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया गया कि राजस्व ग्राम बालरवा में मौजीज व्यक्तियो से पूछताछ की गई जिसमें बताया कि जगदीश पुत्र श्री भैराराम वास्तव में मेघवाल जाति के भाट है। ग्रामीणजन इन्हे बोलचाल की भाषा में राव या रावल ही कहते है।

अप्रार्थी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की जाति भाट लिखी हुई है जो रावल या भाट इस सम्बध में प्रमाण पत्र पेश किया गया है लेकिन उक्त प्रमाण पत्र सन 2000 का जारी किया हुआ है वर्तमान का कोई प्रमाण पत्र सलग्न नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल ए निरस्त के है।

आदेश

अत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसिया

निर्णय आज दिनाक 2/9/19 को सरेईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:29 IST
Reason: SelfAttested

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसिया